

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2/1/5/रातस/2016-17 से 24-25/15206

दिनांक: 27.10.2025

—: आदेश :-

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प-2(61) राज-1/2025 दिनांक 16.09.2025 के द्वारा नायब तहसीलदार पद की वर्ष 2021-22 की डीपीसी अनुशंषाओं को रिव्यू किये जाने की जाने की अनुमति प्राप्त होने पर अनुसूचित क्षेत्र (TSP) की रिविट वर्ष 2021-22 के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 15.10.2025 में की गई अनुशंषा के आधार पर निम्नांकित भू-अभिलेख निरीक्षकों को उनके नाम सम्मुख अंकित डीपीसी वर्ष से मौलिक (सब्सटेन्टीव) रूप से पदोन्नत किया जाता है।

Sr. No.	Name ILR/Father's Name	Category	DOB
1.	Dinesh Kumar Kothari/Panna Lal	GEN	13/Jul/1961
2.	Nijamuddin/Mohmmd Husain	GEN	1/Sep/1961
3.	Hiranyagarbh/Kamalkant	GEN	2/Jul/1962
4.	Dalichand/Lalji	GEN	7/Aug/1963
5.	Mahesh Kumar/Kanhaiyalal Jain	GEN	27/Jun/1962
6.	Narendrasingh/Joravarsingh	GEN	7/Mar/1966
7.	Jagdishchandra/Lalji	GEN	1/Aug/1963
8.	Hira Lal/Tolaram	GEN	24/Dec/1961
9.	Roshan Lal Jain/Gehari Lal	GEN	18/Aug/1961
10.	Trilok Chandra Purbia/Mohanlal	OBC	2/Jun/1965
11.	Shiv Ram Patel/Pemji	OBC	1/Jan/1963
12.	Bhopalsingh/Shivsingh	GEN	1/Jul/1963
13.	Bhagwan Lal Meghwal/Vela	SC	5/Feb/1963
14.	Arjun Lal Garasiya/Pema	ST	11/Mar/1968
15.	Limba Ram/Baaga	ST	10/Jul/1965
16.	Ramesh Chandra/Maganlal	ST	28/Sep/1971
17.	Devhing Bhamor/Bheema	ST	4/Mar/1968
18.	Mohanlal/Rupsi	ST	25/Nov/1975
19.	Bhagirath/Bhanwar Lal	ST	17/Jun/1972
20.	Manohar/Deepsingh Bariya	ST	2/Dec/1970

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों की पदोन्नति विभिन्न न्यायालयों यथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर में विचाराधीन प्रकरणों में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन रहेगी।

नोट :-

1- उपरोक्त सूची में पूर्व के पदोन्नत कार्मिक जिन्होंने उपस्थिति प्रस्तुत की दी गई को छोड़कर शेष नवपदोन्नत नायब तहसीलदार (सेवा निवृत्त कार्मिकों को छोड़कर) अपनी उपस्थिति/फॉरगो की सूचना 07 दिवस में वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला कलक्टर/कार्यालयाध्यक्ष पदस्थापन/कार्यग्रहण आदेश जारी करने से पूर्व स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित कर ले कि कार्मिक निलंबित एवं सेवानिवृत्त नहीं हो, ऐसे कार्मिकों की उपस्थिति स्वीकार नहीं कि जावें एवं ऐसे कार्मिकों की सूचना अविलम्ब मण्डल को भिजवाने का श्रम करावें।

2- पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे।

आदेशानुसार

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Pras
Designation: Registrar
Date: 2025.10.27 15:43:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18453761

क्रमांक: सम/15207 - 287

दिनांक : 27.10.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प-2(61) राज-1/2025 दिनांक 16.09.2025 के क्रम में सूचनार्थ।
6. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. संभागीय आयुक्त (समस्त)।
9. जिला कलक्टर (समस्त)।
10. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/भ-अभिलेख/कम्प्यूटर/राविरा) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. सम्बन्धित कार्मिक.....।
12. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Pras:
Designation: Registrar
Date: 2025.10.27 15:43:41 IST
Reason: Approved